भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 327

09 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक खेती के लाभ

327. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

श्री आर. गिरिराजन:

श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि किसी भी कृषि गतिविधि में आदान और उत्पादन विशुद्ध रूप से प्राकृतिक होना चाहिए, और यह भी कि प्रकृति-आधारित उर्वरकों, प्रकृति-आधारित पोषक तत्वों और प्रकृति-आधारित कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो देश भर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): सरकार जैविक, प्राकृतिक कृषि और पारंपरिक कृषि प्रणाली में प्रकृति आधारित उर्वरकों, पोषक तत्वों और कीटनाशकों के महत्व से अवगत है और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दे रही है ।

(ख) से (ग): जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार वर्ष 2015-16 से देश में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) जैसी समर्पित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। ये दोनों योजनाएँ जैविक किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण एवं विपणन और प्रसंस्करण सहित फसलोपरांत प्रबंधन समर्थन के लिए एंड-टू-एंड समर्थन पर जोर देती हैं। पीकेवीवाई पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। एमओवीसीडीएनईआर योजना केवल पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है।

पीकेवीवाई के तहत, किसानों को 3 वर्ष के लिए 50000/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 31000/हेक्टेयर/3 वर्ष सीधे किसानों को ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक आदानों के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। मूल्य संवर्धन और अवसंरचना निर्माण के लिए 3 वर्ष के लिए 20 लाख रुपये/1000 हेक्टेयर के क्लस्टर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत, एफपीओ के निर्माण, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता, गुणवत्तापूर्ण वाले बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्रमाणीकरण के लिए 3 वर्ष के लिए 46,575 रुपए/हे. की सहायता प्रदान की जाती है। फसलोपरांत अवसंरचना और मूल्यवर्धन हेतु एकीकृत प्रसंस्करण इकाई के लिए अधिकतम सीमा 600 लाख रुपए तक, एकीकृत पैक हाउस के लिए 37.50 लाख रुपए , रेफ्रिजरेटेड वाहन और कोल्ड स्टोर घटकों प्रत्येक के लिए 18.75 लाख रुपए, संग्रह, एकत्रीकरण, ग्रेडिंग और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 10.0 लाख रुपए और चार पहिया वाहन / परिवहन के लिए 6.0 लाख रुपए की आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाती है।

मोदीपुरम में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के माध्यम से भारतीय कृषि परिषद (आईसीएआर) जैविक कृषि पर अखिल भारतीय नेटवर्क कार्यक्रम (एआईएनपी-ओएफ) की एक शोध योजना संचालित करती है, जिसमें फसल और कृषि प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में फसलों के जैविक उत्पादन के लिए पद्धतियों के पैकेज को विकसित करने के लिए 16 राज्यों को कवर करने वाले 20 सहयोगी केंद्र शामिल हैं। इस योजना में 11 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 8 आईसीएआर संस्थान / केंद्र और 1 विशेष विरासत विश्वविद्यालय शामिल हैं।

आईसीएआर ने 16 राज्यों के लिए उपयुक्त 68 फसल प्रणालियों के लिए जैविक कृषि पैकेज विकसित किए हैं। कुल 104 फसल किस्मों को चिन्हित किया गया है जो जैविक कृषि के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा, आईसीएआर ने 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त 64 प्रोटोटाइप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (आईएफएस) मॉडल भी विकसित किए हैं, जिनमें आय को 3-5 गुना तक बढ़ाने की क्षमता है। एआईएन पी-ओएफ केंद्रों के माध्यम से 8 प्रमुख फसल प्रणालियों में प्राकृतिक कृषि का मूल्यांकन भी प्रगति पर है।

वैज्ञानिकों की बहु-विषयक टीम अनुसंधान, किसानों और विस्तार एजेंटों को आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण देने और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य एजेंसियों को तकनीकी सहायता देने में शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के वैज्ञानिक जैविक आदानों के उत्पादन और उपयोग सहित जैविक कृषि पर किसानों और विस्तार कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

*****